भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4691

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जालंधर में अपशिष्ट का उपचार

†4691. **श्री चरनजीत सिंह चन्नीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जालंधर में खराब अपशिष्ट निपटान के बारे में गंभीर चिंता जताई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जालंधर में प्रतिदिन 500 टन (टीपीडी) अपशिष्ट में से केवल 120 टन अपशिष्ट का ही उपचार किया जा रहा है और शेष अपशिष्ट का ढेर लगता जा रहा है और यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने शहर में अपशिष्ट जुटाने के लिए नए अपशिष्ट उपचार संयंत्रों, कचरा स्थानांतरण केंद्रों या इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु कोई सहायता या निधि उपलब्ध कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का जालंधर जैसे शहरी क्षेत्रों में अवैध कचरा डंपिंग को रोकने के लिए अधिक कड़े जुर्माने लगाने या सीसीटीवी कैमरों जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का विचार है और यदि हां, तो इन कदमों के कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) : संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार स्वच्छता राज्य का विषय है और भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा जल और स्वच्छता सेवाओं संबंधी शक्ति शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सौंपी गई है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना, डिजाइन तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना और संचालित करना राज्य/ शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) पर नियमावली/ मानक प्रक्रिया (एसओपी) साझा करके नीतिगत निर्देश, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है और ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन हेतु समय-समय पर विभिन्न परामर्शिकाएं और दिशानिर्देश जारी करता है।

शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू किया, जिसका उद्देश्य शहरों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाना और जालंधर सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों की नगरपालिका में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना था। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पाँच वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और अपशिष्ट के सभी अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन करके सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। एसबीएम-यू के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित उनकी कार्ययोजना के आधार पर निधि जारी की जाती है, जिसे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को प्रेषित किया जाता है। अनुमोदित वित्तीय सहायता/परियोजनाओं का शहर-वार विवरण नहीं रखा जाता है।

एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत पंजाब राज्य को 1054.20 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 294.20 करोड़ रुपये एसडब्लूएम घटक के लिए निर्धारित हैं। पंजाब राज्य के लिए शहरी ठोस अपशिष्ट कार्य योजना (सीएसडब्लूएपी) के अनुसार, अब तक 293.29 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित कुल 893.52 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 600.10 टन प्रति दिन (टीपीडी) अपशिष्ट से खाद (डब्लूटीसी) संयंत्रों, 1544 टीपीडी के जैव-मीथेनेशन संयंत्रों, 597.09 टीपीडी की सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ), 680.83 टीपीडी की सैनिटरी लैंडफिल (एसएलएफ), 831 टीपीडी के अपशिष्ट से बिजली (डब्लूटूई) संयंत्रों, 374 टीपीडी के निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों, 53.89 लाख टन पुराने कचरे के निपटान और 20 मैकेनिकल रोड स्वीपर का अनुमोदन दिया जा चुका है। अनुमोदित केंद्रीय हिस्से में से राज्य ने 84.04 करोड़ रुपये का दावा पहले ही कर लिया है। पंजाब राज्य द्वारा एसबीएम-यू के अंतर्गत रिपोर्ट की गई सभी परियोजनाओं का विवरण एसबीएम-यू, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पोर्टल https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध है।

*****